

निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.  
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 48/2018

दायरा दिनांक:-11.06.2018

निर्णय दिनांक:- 9-7-24

उनवान

1. मोहम्मद अली खां आयु 62 वर्ष पुत्र मोहम्मद लईक खान उर्फ लईक खां जाति मुसलमान निवासी टोंक (राज0) हालमुकाम प्लाट नम्बर सी 792 फिरदोश मस्जिद के पास भट्टा बस्ती शास्त्री नगर जयपुर
2. सरवर अली खां आयु 60 वर्ष पुत्र मोहम्मद लईक खान उर्फ लईक खां जाति मुसलमान निवासी टोंक (राज0) हालमुकाम प्लाट नम्बर 157-158 जमातुलहिदाया के पास खान कॉलोनी धोली कोठी भानपुर सडवा जयपुर
3. लियाकत अली खां आयु 58 वर्ष पुत्र मोहम्मद लईक खान उर्फ लईक खां जाति मुसलमान निवासी टोंक (राज0) हालमुकाम खातीयों का घेर के पास टोंक जिला टोंक (राज0)
4. मुमताज अली आयु 50 वर्ष पुत्र मोहम्मद लईक खान उर्फ लईक खां जाति मुसलमान निवासी टोंक (राज0) हालमुकाम मोती बाग तालाब की पाल टोंक (राज0)
5. फरहत आयु 64 वर्ष पुत्री मोहम्मद लईक खान उर्फ लईक खां पत्नि हकीमउल्ला खां जाति मुसलमान निवासी इबादुल्ला खां की कचहरी टोंक (राज0)
6. शाहिदा खातुन आयु 61 वर्ष पुत्री मोहम्मद लईक खान उर्फ लईक खां पत्नि मोहम्मद सलीम जाति मुसलमान निवासी खादी भंडार की गली मोती बाग रोड टोंक जिला टोंक (राज0) .....वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मीचन्द पुत्र औंकार
2. प्रेमचन्द पुत्र औंकार
3. छीतरलाल पुत्र औंकार जाति जाटव निवासीगण छबडा तहसील छबडा जिला बारां
4. स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0) .....प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 07 नियम 11 एवं धारा 151 सी0पी0सी0

निर्णय दिनांक:- 9-7-24


अभिभाषक उपस्थित:-1. श्री आर.पी.गोयल - वादी  
2. श्री भगवान कृष्ण बलरिया - प्रतिवादी

अभिभाषक प्रार्थी (प्रतिवादी) द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 इस आशय का पेश किया गया कि वादीगण इस वाद के माध्यम से प्रतिवादी पर अनुचित दबाव बनाकर भारी राशि वसूल करना चाहते हैं इसलिए फर्जी तरीके से कपट पूर्वक विधि विरुद्ध अवैण उद्देश्य को पूरा में यह गलत वाद असत्य एवं बनावटी तथ्यों के आधार प्रस्तुत किया है जो निम्न कारणों से काबिल खारिज होने योग्य है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि विरुद्ध

एवं मियाद बाहर प्रस्तुत होने से कानून खारिज होने योग्य है। वादीगण एवं उनके पूर्वज लगभग 50 साल से अधिक समय से उक्त भूमि पर बेहेसियत खातेदार काबिल चले आ रहे हैं। वादीगण का उक्त भूमि पर एक क्षण का भी कब्जा काशत नहीं रहा इसलिए वाद वादीगण खारिज होने योग्य है। वाद पत्र में वादीगण द्वारा कोई वाद कारण दिनांक अंकित नहीं की गयी। इसलिए वाद कारण के अभाव में वाद वादीगण खारिज होने योग्य है। प्रतिवादीगण के पूर्वज औंकार वल्द चेता का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2012 से 2015 में दर्ज है। वादीगण वास्तविकता में मृतक लईक खां के वैध वारिसान है तो सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण प्राप्त करने पर ही वादी वाद प्रस्तुत करने के अधिकारी होंगे। इसलिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु सक्षम सिविल न्यायालय के आदेश के अभाव में वाद वादीगण चलने योग्य नहीं होने से काबिल खारिजी है। सन् 1956 के पूर्व से ही विवादित आराजी पर वादीगण व उसके पिता माफीदार लईक खां का कभी भी एक क्षण का भी कोई कब्जा काशत नहीं रहा 1957 व सेटलमेन्ट से पूर्व से ही उक्त आराजी पर औंकार वल्द चेता काबिल था तभी से ही वर्तमान में प्रतिवादी व उनके पूर्वज खातेदार काबिल चले आ रहे हैं इसलिए कानूनन वाद वादीगण प्रथम दृष्टया धारा 88,188, आर.टी.ए. का चलने योग्य नहीं होने से काबिल खारिजी है वादीगण एवं लईक खां भूमि धारी नहीं होने से वाद वादीगण चलने योग्य नहीं है काबिल खारिजी है।

अप्रार्थी (वादीगण) द्वारा प्रार्थना पत्र के जवाब में बताया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित एलिजेशन आर्डर 7 नियम 11 सी.पी.सी. के आधार नहीं है वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद सक्षम न्यायालय में अवधि मध्य वाद कारण उत्पन्न होने से प्रस्तुत किया गया है लिहाजा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य मेन्टेनेवल न होने से प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी है प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से जो आक्षेप लिए गये हैं माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की प्लीडिंग के आधार पर विवाधको का निर्धारण किया जाकर पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य ग्रहण कर तनकीवार विधि सम्मत रूप से निस्तरण किया जायेगा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र Pre Matued है प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु mixed Question of Law & fact होने से बिना साक्ष्य ग्रहण किये निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र Boges एवं प्रकरण को लम्बायमान करने का है कृषि आराजी से संबंधित सभी विवादो का निस्तारण राजस्व न्यायालय द्वारा किया जावेगा प्रार्थी (प्रतिवादी) का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस प्रार्थना पत्र अभिभाषक उभय पक्षकारान सूनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी (प्रतिवादी) द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी पर वादीगण का 1957 से आज तक कभी कब्जा काशत नहीं रहा। वादीगण द्वारा वाद पत्र में वाद उत्पन्न होने का कारण व दिनांक अंकित नहीं की गई। वादी ने वाद पत्र में यह नहीं बताया कि किस कारण से वाद उत्पन्न हुआ और किस दिनांक को हुआ। विवादित भूमि का इंतकाल नम्बर 13 से खाता खरिज किया जा चुका है खाता खारिज होने के वाद वादीगण का उक्त भूमि पर वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है वादी को उक्त नामान्तरण संख्या 13 की अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी।

  
**उपखण्ड अधिकारी**  
**छबड़ा (वारसे)**

वर्तमान में विवादित भूमि वादीगण के खातेदारी में है लईक खां का खाता नामान्तरण नम्बर 13 से सन् 1957 में खारिज होने के बाद कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। वादीगण खातेदार नहीं होने के कारण वाद पत्र में वाद कारण व दिनांक अंकित नहीं होने के कारण प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थन पत्र स्वीकार किया जावे। एवं वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।


बहस प्रार्थना पत्र के दौरान वकील अप्रार्थी वादीगण का कथन है कि धारा 88 आर.टी.ए. के दावे की कोई मियाद नहीं होती है विधि का सुस्थापित नियम है कि Worn is always worn प्रश्नगत सम्पत्ति कृषि आराजी है लिहाजा वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है वादी द्वारा वाद अवधि मध्य वाद कारण उत्पन्न होने से प्रस्तुत किया है लिहाजा प्रार्थना पत्र मेन्टेनेवल नहीं होने से खारिज फरमाया जावे। दोनो पक्षो की प्लीडिंग के आधार पर विवादको का निर्धारण कर पक्षकारान की साक्ष्य ग्रहण की जाकर तनकी वार निर्णय किया जायेगा। प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र Pre matued एवं Boges होने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस प्रार्थना पत्र अभिभाषक उभय पक्षकारान सूनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2012-15 में माफी लईक खां पुत्र तोफीक खां का नाम भूमि अधिकारी के कॉलम में अंकित है कृषक के कॉलम में आँकार वल्द चेत्या दर्ज है जमाबन्दी के कॉलम संख्या 16 में नामान्तरण संख्या 13 खाता संख्या 140 खारिज किये गये अंकित है। प्रथम वादी द्वारा नामान्तरण गलत होने के आधार पर धारा 88 आर.टी.ए का वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि नामान्तरण की अपील धारा 75 आर.एल.आर. के तहत होनी चाहियें थी जो अब मयाद बहार है दुसरा वादी द्वारा वाद पत्र में Cause of Action स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया है जो सी.पी.सी. आदेश 7 नियम 11 (क) " जो वाद वाद हेतुक स्पष्ट नहीं करे उसे नामंजुर किया जा सकेगा " के दायरे में आता है लिहाजा प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

### :: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया (प्रतिवादी) का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
(रामसिंह गुर्जर)  
उपखण्ड अधिकारी  
आर.ए.एस.  
छबडा (बारा)  
उपखण्ड अधिकारी, छबडा